बिहार राज्य एवं अन्य आदि

बनाम

खास करणपुरा कोलियरीज लिमिटेड आदि

6 अगस्त, 1976

[मुख्य न्यायाधीश ए. एन. राय, एम. एच. बेग और जसवंत सिंह, न्यायमूर्तिगण]

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957-धारा 30ए का दायरा

25 अक्टूबर, 1949 से पहले, बड़े-बड़े खनिज संपदाओं के मालिक या तो बिना रॉयल्टी के या बहुत कम रॉयल्टी पर खनन पट्टे देते थे। अधिकतर मामलों में पट्टेदार भी इसी तरह की शर्तों पर उप-पट्टे देते थे। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 ने अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ही खनन पट्टा देने पर रोक लगा दी। खनिज रियायत नियम, 1949 का नियम 41, जो 25 अक्टूबर, 1949 को लागू हुआ, के अनुसार प्रत्येक खनन पट्टे में खनिजों पर रॉयल्टी के भुगतान की शर्त शामिल करना अनिवार्य कर दिया। हालांकि, यह नियम 25 अक्टूबर, 1949 से पहले दिए गए पट्टों या उप-पट्टों पर लागू नहीं होता था।

बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत, मालिक या पट्टेदार के साथ-साथ पट्टेदार के सभी हित, जिनमें खानों और खनिजों में अधिकार भी शामिल हैं, समाप्त हो गए और पूर्णतः राज्य में निहित हो गए। धारा 10 में यह प्रावधान था कि किसी मौजूदा पट्टे में शामिल संपत्ति या पट्टे का पूरा या आंशिक भाग, राज्य सरकार द्वारा पट्टेदार को उस पट्टे की शेष अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया माना जाएगा।

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957, जिसने 1948 के अधिनियम का स्थान लिया, 1 जून, 1958 को लागू हुआ। अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत 1957 के अधिनियम के लागू होने से पहले दी गई खनन पट्टा धारक के लिए यह

अनिवार्य था कि वह 28 दिसंबर, 1957 के बाद पट्टा क्षेत्र से निकाले गए किसी भी खनिज के संबंध में एक निर्दिष्ट दर पर रॉयल्टी का भुगतान करे। धारा 16 में यह प्रावधान था कि 25 अक्टूबर, 1949 से पहले दी गई खनन पट्टा 1957 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाई जाएगी और धारा 29 में 1948 के अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को प्रभावी रूप से जारी रखने का प्रावधान था, जहां तक वे 1957 के अधिनियम में दिए गए मामलों से संबंधित थे और उसके साथ असंगत नहीं थे।

1957 के अधिनियम में जोड़ी गई धारा 30ए में यह प्रावधान है कि धारा 9 (1) और धारा 16 (1) के प्रावधान "25 अक्टूबर, 1949 से पहले दिए गए खनन पट्टों पर लागू नहीं होंगे" और केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे कि धारा 9 (1) और 16 (1) के सभी या कोई भी प्रावधान ऐसे पट्टों पर लागू होंगे, बशर्ते कि उस अधिसूचना या किसी बाद की अधिसूचना में कोई अपवाद या संशोधन निर्दिष्ट किए गए हों। धारा 30ए को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था।

1967 में, उच्च न्यायालय ने *नरेंद्र नाथ मंडल बनाम बिहार राज्य एवं अन्य* के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि (i) किसी खान के पट्टेदार को 3 नवंबर, 1951 (बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत संपत्ति के निहित होने की तिथि) से 31 मई, 1958 तक की अवधि के लिए रॉयल्टी का भुगतान करना होगा, जो 1957 अधिनियम की धारा 29, नियम 41 और 1949 के नियमों की अनुसूची 1 के अनुसार है, और (ii) 1 नवंबर, 1958 (1957 अधिनियम के लागू होने की तिथि) से 31 दिसंबर, 1965 तक की अवधि के लिए रॉयल्टी का भुगतान करना होगा, जो उस अधिनियम की धारा 9(1) और उसकी दूसरी अनुसूची के अनुसार है, क्योंकि राज्य में संपत्ति के निहित होने और अधिनियम की धारा 10 के बल पर एक नए पट्टे के अस्तित्व में आने के प्रभाव के मद्देनजर न तो धारा 30ए और न ही अधिसूचना पट्टे पर लागू होती है। इस फैसले के बाद राज्य ने उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार रॉयल्टी के भुगतान के लिए उत्तरदाताओं को मांग सूचना जारी किए।

उत्तरदाताओं की रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने मांग नोटिसों को अभिखंडित कर दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि *मंडल* के मामले में गलत निर्णय लिया गया था।

इस प्रश्न पर कि रॉयल्टी के दावे (1) 1 जून, 1958 से पहले; और (2) 1 जून, 1958 से 31 दिसंबर, 1965 तक कायम रह सकते हैं।

राज्य की अपीलों को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित : (1) उच्च न्यायालय का यह निर्णय सही था कि 1 जून, 1958 से पूर्व रॉयल्टी का दावा पूरी तरह निराधार था और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। *बिहार खान लिमिटेड बनाम भारत संघ* के मामले में इस न्यायालय ने यह माना कि बिहार अधिनियम की धारा 4(1)(क) और 10(1) के संचालन का परिणाम यह था कि मूल संविदात्मक पट्टे निहित होने की तिथि पर समाप्त हो गए और उन पट्टों की शेष अवधि के लिए पट्टेदारों के पक्ष में धारा के तहत नए वैधानिक पट्टे अस्तित्व में आए। अधिनियम की धारा 10(1) के परिणामस्वरूप, 3 नवंबर, 1951 से, मौजूदा पट्टों को बिहार अधिनियम, 1950 की धारा 1डी(1) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त नए वैधानिक पट्टे माना जाने लगा। खनिज रियायत नियम, 1949 का नियम 41 केवल नियमों के अध्याय IV में परिकल्पित संविदात्मक पट्टों पर लागू होता था, न कि वैधानिक पट्टों पर जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10 में निहित प्रावधान के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए थे। [169 बी; 163 बी-डी]

बिहार खान लिमिटेड बनाम भारत संघ [1967] 1 एस.सी.आर. 707; ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 887 का अनुसरण किया गया।

छतु राम होरिल राम प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और एक अन्य [1968] 2 एस.सी.आर. 881; ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 177 लागू।

(2) उच्च न्यायालय का यह मत भी सही था कि 1 जून, 1958 से 31 दिसंबर, 1965

तक की अवधि के लिए रॉयल्टी के भुगतान की मांग को मान्य नहीं ठहराया जा सकता। [168 जी]

(क) धारा 30ए, जिसका अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव है, अधिनियम की धारा 9(1) और 16(1) की प्रयोज्यता से न केवल 25 अक्टूबर, 1949 से पहले दिए गए पट्टों पर, बल्कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10(1) के संचालन के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए वैधानिक पट्टों पर भी अस्थायी संरक्षण प्रदान करती है, जिन्होंने बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 और 3ए के तहत अधिसूचनाओं के प्रकाशन पर राज्य में संपदाओं या पट्टे के निहित होने की तिथि से ठीक पहले विद्यमान पट्टों की पूर्ववर्ती श्रेणी का स्थान लिया था। यह निष्कर्ष धारा 30ए में "लागू नहीं होगा" शब्दों के बाद और "25 अक्टूबर, 1949 से पहले दिए गए खनन पट्टे" शब्दों से पहले आने वाले "या के संबंध में" शब्दों से स्पष्ट होता है। ये शब्द धारा 30ए के दायरे को विस्तृत करते हैं। 30ए और इसके संरक्षण के दायरे में 25 अक्टूबर, 1949 से पहले दी गई खनन पट्टों के साथ-साथ उन वैधानिक पट्टों को भी शामिल करना जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10(1) में निहित कानूनी कल्पना के आधार पर राज्य में संपदाओं या कार्यकालों के निहित होने पर उनके स्थान पर उत्पन्न हुए थे। बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10(1) और (2) में स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, न केवल वैधानिक पट्टे का धारक शेष अवधि के लिए मौजूदा पट्टे के धारक के समान होना चाहिए, बल्कि वैधानिक पट्टे की शर्तें भी *यथावश्यक* रूप से मौजूदा पट्टे की शर्तों के समान होनी चाहिए, अर्थात् मूल पट्टे की शर्तें, उपधारा (2) में उल्लिखित सीमा को छोड़कर। इस प्रकार, वैधानिक पट्टा मौजूदा पट्टे से अविभाज्य रूप से जुड़ा होने के कारण, जिसे इसने अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के परिणामस्वरूप प्रतिस्थापित किया था, 1957 अधिनियम की धारा 30ए के दायरे में आता है। अपीलकर्ताओं द्वारा धारा 30ए की शब्दावली पर जो व्याख्या करने का प्रयास किया गया है... धारा 30ए को स्वीकार नहीं किया जा सकता

क्योंकि यह उस धारा के दायरे को अनुचित रूप से प्रतिबंधित और सीमित कर देगा और उस उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए इसे बनाया गया था, अर्थात् अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद 1957 अधिनियम की धारा 9 के तहत रॉयल्टी भुगतान के दायित्व की कठोरता को कम करना। यदि, जैसा कि अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है, धारा 30ए द्वारा परिकल्पित संरक्षण 25 अक्टूबर, 1949 से पहले दिए गए पट्टों तक ही सीमित है, तो धारा 30ए निरर्थक हो जाएगी क्योंकि बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10(1) के परिणामस्वरूप वैधानिक पट्टों के अस्तित्व में आने के बाद, शायद ही कोई खनन पट्टा बचेगा जिस पर धारा 30ए लागू हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधानमंडल का इरादा था कि 1957 अधिनियम की धारा 30ए में वैधानिक पट्टों को भी शामिल किया जाए। [168 एफ; 1691 ए-बी]

(ख) बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत उत्पन्न कोयले से संबंधित वैधानिक खनन पट्टों को भी अधिनियम की धारा 9(1) और 16(1) की प्रयोज्यता से अस्थायी छूट प्राप्त थी, जब तक कि केंद्र सरकार ने उक्त प्रावधानों को इन पट्टों पर संशोधन सहित या बिना संशोधन के लागू करने वाली अधिसूचना जारी नहीं कर दी। [170 जी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1971 की दीवानी अपील सं. 705-724।

(पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 3-9-1970 के निर्णय एवं आदेश से (सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 992, 1042, 1088, 1096-1101, 1148-1150, 1194, 1244-1247, 1722/68 एवं 146/69 में क्रमशः)।

अपीलार्थियों की ओर से *डी. पी. सिंह, एस. सी. अग्रवाल* और *वी. जे. फ्रांसिस* ।

उत्तरदाता सं. 1 के लिए *सचिन चौधरी* (*दीवानी अपील* 705/71 में।) ।

बी. सेन और एस. जे. सोराबजी (दीवानी अपील 709/71 में।), एस. बी. सान्याल, एस. सी. बनर्जी, डी. एन. मुखर्जी और ए. के. नाग उत्तरदाता सं. 1 के लिए (दीवानी अपील

में 705-713 & 718 और उत्तरदाता *के लिए 714/71 में)*

डी. एन. गुप्ता, उत्तरदाताओं के लिए (दीवानी अपील 715-717/71 में।)

एस. एन. प्रसाद (सीए 706/71 में), एस. पी. नायर और गिरीश चंद्र उत्तरदाता सं. 2 के लिए (दीवानी अपील 706-708,713/71 में।)/

ए.के. सेन, बी. सेन, डी. एन. मुखर्जी और ए. के. नाग उत्तरदाता के लिए (दीवानी अपील 724/71 में)।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा दिया गया

जसवंत सिंह, न्यायमूर्ति। संविधान के अनुच्छेद 133 (1) (क) के तहत प्रमाण पत्र द्वारा दायर की गई 20 दीवानी अपीलों (सं. 705 से 724, 1971) का यह समूह, जो पटना उच्च न्यायालय के 3 सितंबर, 1970 के सामान्य निर्णय के विरुद्ध है और मुख्य रूप से खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम 67) (जिसे आगे '1957 अधिनियम' कहा गया है) की धारा 30ए की व्याख्या और दायरे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, इस निर्णय द्वारा निपटाया जाएगा।

इन अपीलों से संबंधित परिस्थितियाँ, जहाँ तक वे संबंधित बिंदुओं को समझने में सहायक होंगी, इस प्रकार हैं: 25 अक्टूबर, 1949 से पहले, रामगढ़ और झरिया के राजाओं जैसे बड़े जागीरदारों ने अपने असीमित विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, हजारीबाग, धनबाद और सिंहभूम जिलों में भूमि के विशाल भूभागों को विभिन्न व्यक्तियों को 999 वर्षों की अवधि के लिए कोयला खनन और निष्कर्षण हेतु खनन पट्टे पर दे दिए थे। इसके बदले में उन्हें प्रीमियम और निश्चित वार्षिक किराया देना होता था। इन पट्टों में या तो रॉयल्टी भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था या निर्धारित रॉयल्टी बहुत कम थी। कुछ मामलों को छोड़कर, इन खनन पट्टों के पट्टेदारों ने स्वयं खानों का संचालन नहीं किया और लगभग समान शर्तों पर उनके उप-पट्टे दे दिए।

8 सितंबर, 1948 को केंद्रीय विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 की

सातवीं अनुसूची की सूची । की प्रविष्टि 36 के अंतर्गत खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 53/1948) (जिसे आगे '1948 अधिनियम' कहा गया है) पारित किया। अधिनियम, जैसा कि इसकी प्रस्तावना में घोषित किया गया है, सार्वजनिक हित में खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए प्रावधान करने हेतु आवश्यक समझे जाने के कारण अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ही खनन पट्टा देने पर रोक लगाती है। अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि उपधारा (1) के विपरीत दिया गया कोई भी खनन पट्टा शून्य और अप्रभावी होगा। अधिनियम की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार को किसी खनिज या किसी क्षेत्र के संबंध में खनन पट्टे देने को विनियमित करने या ऐसे पट्टे देने पर रोक लगाने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। अधिनियम की धारा 7 के तहत केंद्र सरकार को किसी भी मौजूदा खनन पट्टे (अर्थात अधिनियम के लागू होने से पहले दिए गए किसी भी खनन पट्टे) की शर्तों और नियमों में संशोधन या परिवर्तन करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया था, ताकि ऐसे पट्टे को धारा 5 के तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप लाया जा सके। अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने खनिज रियायत नियम, 1949 बनाए। 1948 का अधिनियम और खनिज रियायत नियम, 1949, दोनों 25 अक्टूबर, 1949 को लागू हुए।

खनिज रियायत नियमों का नियम 41, जो खनन पट्टों की शर्तों से संबंधित है, प्रत्येक खनन पट्टे के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि पट्टेदार को नियमों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर खनिजों पर रॉयल्टी का भुगतान करने की शर्त शामिल हो, जो कोयले के मामले में एफ.ओ.आर. मूल्य का 5% थी।

1948 के अधिनियम को 16 जनवरी, 1950 को भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 92 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा छोटा नागपुर तक विस्तारित किया गया था।

खनिज रियायत नियम, 1949 के प्रावधान 25 अक्टूबर, 1949 से पहले दिए गए पट्टों या उप-पट्टों पर लागू नहीं होते थे।

भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 246 और 254, जो विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित हैं, और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची । (संघ सूची) की प्रविष्टि 54 और सूची ॥ (राज्य सूची) की प्रविष्टि 23 इस प्रकार हैं:

" *अनुच्छेद* 246: (1) खंड (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद को अनुसूची सातवीं में प्रथम सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है।

(2) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद और खंड (1) के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल भी सातवीं अनुसूची की सूची ।।। में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार रखता है।

(3) खंड (1) और (2) के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के विधानमंडल को सातवीं अनुसूची की सूची ॥ में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में ऐसे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अनन्य अधिकार है।

(4) संसद को भारत के किसी भी भूभाग के लिए, जो किसी राज्य में शामिल नहीं है, किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, भले ही वह मामला राज्य सूची में सूचीबद्ध हो।"

"*अनुच्छेद* 254 (1) यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के किसी प्रावधान से, जिसे संसद अधिनियमित करने के लिए सक्षम है, या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी मामले के संबंध में किसी मौजूदा कानून के किसी प्रावधान से असंगत है, तो खंड (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संसद द्वारा बनाया गया कानून, चाहे वह ऐसे राज्य

के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून से पहले या बाद में पारित किया गया हो, या जैसा भी मामला हो, मौजूदा कानून से, प्रभावी होगा और विधानमंडल द्वारा असंगत कानून शून्य होगा।"

(2) यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी विषय के संबंध में बनाया गया कोई कानून संसद द्वारा पहले बनाए गए किसी कानून या उस विषय से संबंधित किसी मौजूदा कानून के प्रावधानों के विपरीत कोई प्रावधान रखता है, तो ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया वह कानून, यदि राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा गया हो और उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई हो, तो उस राज्य में प्रभावी होगा।

बशर्ते कि इस खंड में कोई बात संसद को किसी भी समय उसी विषय के संबंध में कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जिसमें राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में कोई संशोधन, परिवर्तन या निरसन करने वाला कानून भी शामिल है।

"सूची । (संघ सूची) की प्रविष्टि 54 खनिज विकास का विनियमन, उस सीमा तक जहाँ तक संसद द्वारा कानून बनाकर सार्वजनिक हित में आवश्यक घोषित किया गया हो, संघ के नियंत्रण में ऐसे विनियमन और विकास का विनियमन।"

"सूची ॥ (राज्य सूची) की प्रविष्टि 23 संघ के नियंत्रण में विनियमन और विकास के संबंध में सूची । के प्रावधानों के अधीन खानों और खनिज विकास का विनियमन।"

संविधान के बाद बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (अधिनियम XXX, 1950) (जिसे आगे 'बिहार भूमि सुधार अधिनियम' कहा गया है) लागू हुआ, जो 11 सितंबर, 1950 को पारित हुआ, लेकिन 25 सितंबर, 1950 से प्रभावी हुआ। जैसा कि इसकी प्रस्तावना से स्पष्ट है, यह कानून इसलिए बनाया गया था क्योंकि भूमि के मालिकों और पट्टेदारों तथा ऐसे हितों के गिरवीदारों और पट्टेदारों, जिनमें खानों और खनिजों में हित भी शामिल हैं, के हितों को राज्य को हस्तांतरित करना आवश्यक समझा गया था। बिहार भूमि सुधार

अधिनियम की धारा 3 और 3ए के तहत अधिसूचनाओं के प्रकाशन पर, मालिकों या पट्टेदारों की संपत्तियां या पट्टे तथा सभी मध्यस्थों के मध्यस्थ हित राज्य को हस्तांतरित हो गए और राज्य में निहित हो गए। बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 में राज्य में संपत्ति या पट्टे के निहित होने से उत्पन्न होने वाले परिणामों की घोषणा की गई है। धारा 4 (1) के खंड (क) में यह प्रावधान था कि उपरोक्त अधिसूचनाओं के प्रकाशन पर, ऐसी संपत्ति या पट्टेदारी, जिसमें किसी भवन आदि में स्वामी या पट्टेदार का हित, वृक्ष आदि में हित, साथ ही सभी उप-मृदा में उसका हित, जिसमें खानों और खनिजों में कोई भी अधिकार शामिल है, चाहे वे खोजे गए हों या नहीं खोजे गए हों, या चाहे उन पर काम किया जा रहा हो या नहीं, ऐसी संपत्ति या पट्टेदारी में शामिल खानों और खनिजों के पट्टेदार के ऐसे अधिकार, रैयतों या अधीनस्थ रैयतों के हितों के अलावा, निहित होने की तिथि से राज्य में पूर्णतः निहित हो जाएगी और ऐसे स्वामी या पट्टेदार का ऐसी संपत्ति या पट्टेदारी में अधिनियम के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित हितों के अलावा कोई हित नहीं रहेगा। इस प्रकार, खानों और खनिजों में स्वामित्व रखने वाले या पट्टेदार के सभी अधिकार, जिनमें खानों और खनिजों के पट्टेदार के अधिकार भी शामिल हैं, समाप्त हो गए और पूर्णतः राज्य में निहित हो गए। एक बार निहित होने के बाद, कुछ अधिकार विधि द्वारा स्वामित्व रखने वालों, पट्टेदारों और पट्टेदारों को प्रदान किए गए। बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 9 में यह प्रावधान किया गया कि अधिनियम के प्रारंभ होने के समय जो खानें परिचालन में थीं और जिनका संचालन मध्यस्थ द्वारा सीधे किया जा रहा था, उन्हें राज्य सरकार द्वारा मध्यस्थ को पट्टे पर दी गई खानों के रूप में माना जाएगा और मध्यस्थ उन खानों पर पट्टेदार के रूप में अपना कब्जा बनाए रखने का हकदार होगा। धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मध्यस्थ को दिए गए पट्टे में ऐसी शर्तें और नियम होंगे जिन पर राज्य सरकार और मध्यस्थ के बीच सहमति हो सकती है, या ऐसी सहमति न होने की स्थिति में, अधिनियम की धारा 12 के तहत नियुक्त खान न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए

जा सकते हैं, बशर्ते कि ऐसी सभी शर्तें और नियम नए खनन पट्टे देने को विनियमित करने वाले किसी भी केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हों।प्रावधान के अनुसार, ऐसी शर्तें और नियम 1948 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होने थे, जो उस समय लागू था जब संपत्ति बिहार राज्य में निहित हुई थी। यह उल्लेख किया जा सकता है कि वर्तमान मामलों में खानों का संचालन मध्यवर्ती पट्टेदारों द्वारा नहीं किया गया था। बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10, जो खानों और खनिजों के पट्टों से संबंधित है, जो संपत्ति या कार्यकाल के निहित होने की तिथि से ठीक पहले की तिथि को विद्यमान थे, में प्रावधान है:

"10. खानों और खनिजों के मौजूदा पट्टे -

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि संपदा या पट्टे के निहित होने की तिथि से ठीक पहले संपदा या पट्टे में या उसके किसी भाग में समाहित खानों या खनिजों का कोई विद्यमान पट्टा हो, तो ऐसी पट्टे में समाहित संपदा या पट्टे का संपूर्ण भाग या वह भाग, निहित होने की तिथि से राज्य सरकार द्वारा उक्त विद्यमान पट्टे के धारक को उस पट्टे की शेष अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया माना जाएगा, और ऐसा धारक पट्टे की संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने का हकदार होगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा उक्त पट्टे की शर्तें *यथावश्यक* रूप से उपधारा (1) में निर्दिष्ट मौजूदा पट्टे की शर्तों के समान होंगी, परन्तु इस अतिरिक्त शर्त के साथ कि, यदि राज्य सरकार की राय में पट्टे के धारक ने इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व कोई अन्वेषण या विकास कार्य नहीं किया है, तो राज्य सरकार उक्त तिथि से एक वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय तीन महीने का लिखित सूचना देकर पट्टा समाप्त करने की हकदार होगी।

बशर्ते कि इस उपधारा में कोई बात उक्त पट्टे की शर्तों और नियमों में किसी भी प्रकार के संशोधन को रोकने वाली नहीं मानी जाएगी, जो कि मौजूदा खनन पट्टों

के संशोधन को विनियमित करने वाले किसी भी केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया हो।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित खानों और खनिजों के किसी भी पट्टे का धारक, निवर्तमान स्वामी या पट्टेदार से इस आधार पर किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा कि उक्त खानों और खनिजों के संबंध में ऐसे स्वामी या पट्टेदार द्वारा निष्पादित पट्टे की शर्तें इस अधिनियम के संचालन से पूर्ति के योग्य नहीं रह गई हैं।

बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 (1) (क) और 10 (1) के संचालन का परिणाम, जैसा कि इस न्यायालय ने *बिहार माइंस लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया*[1] में माना था और *छतू राम होरिल राम प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य*[2] में दोहराया था, यह नहीं था कि संपत्ति में शामिल खानों और खनिजों के पुराने मूल अनुबंधात्मक पट्टे, जो निहित होने की तिथि पर विद्यमान थे, सरकार के साथ मूल पट्टेदार के स्थान पर प्रतिस्थापित होकर जारी रहे, बल्कि यह था कि अधिनियम की धारा 4 (1) (क) के परिणामस्वरूप निहित होने की तिथि पर मूल संविदात्मक पट्टे समाप्त हो गए और उन पट्टों की शेष अवधि के लिए, अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत पट्टेदारों के पक्ष में नए वैधानिक पट्टे अस्तित्व में आए।

झरिया काज्या की वे सभी संपत्तियां, जिनके अंतर्गत प्रश्नगत पट्टे आते थे, 3 नवंबर 1951 को बिहार राज्य में निहित हो गईं। इसके बाद, अर्थात् 3 नवंबर 1951 से, मौजूदा पट्टों को *बिहार खान लिमिटेड बनाम भारत संघ* (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त नए वैधानिक पट्टे माना जाने लगा।

---

1 [1967] 1 एस.सी.आर. 707: ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 887.

2 [1968] 2 एस.सी.आर. 881 : ए.एल.आर. 1969 एस.सी. 177.

1956 में खनन पट्टा (शर्तों में संशोधन) नियम, 1956, जो 1948 अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले दिए गए खनन पट्टों की शर्तों और नियमों में संशोधन और परिवर्तन का प्रावधान करते हैं, ताकि उन्हें 1948 अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद खनिज रियायत नियम, 1949 के अनुसार दिए गए खनन पट्टों की शर्तों और नियमों के अनुरूप लाया जा सके, 1948 अधिनियम की धारा 7 के तहत 4 सितंबर, 1956 को लागू किए गए थे। इन नियमों को खनन पट्टा (शर्तों में संशोधन) नियम, 1956 के नियम 2 (ग) में निहित "मौजूदा खनन पट्टा" की परिभाषा के आधार पर 25 अक्टूबर, 1959 (1948 अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि) से पहले दिए गए कोयले से संबंधित खनन पट्टों पर स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप खनन पट्टे या उप-पट्टे... उत्तरदाताओं के पट्टे 1948 के अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों से प्रभावित नहीं हुए थे।

1948 के अधिनियम को खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (अधिनियम सं. 67, 1957) (जिसे आगे '1957 अधिनियम' कहा गया है) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची । की प्रविष्टि 54 के तहत संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की सहमति 28 दिसंबर, 1957 को प्राप्त हुई और यह 1 जून, 1958 को लागू हुआ। 1957 के अधिनियम की धारा 9 में यह प्रावधान था:

"9. खनन पट्टों के संबंध में रॉयल्टी

(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले प्रदत्त खनन पट्टे का धारक, पट्टा विलेख में या प्रारंभ होने के समय लागू किसी भी कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, प्रारंभ होने के बाद पट्टे वाले क्षेत्र से उसके द्वारा निकाले गए किसी भी खनिज के संबंध में, उस खनिज के संबंध में द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर रॉयल्टी का भुगतान करेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद या उसके बाद दिए गए खनन पट्टे का धारक, पट्टे वाले क्षेत्र से उसके द्वारा निकाले गए किसी भी खनिज के संबंध में उस खनिज के लिए दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर रॉयल्टी का भुगतान करेगा।

(3) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है ताकि किसी खनिज के संबंध में देय रॉयल्टी की दर को अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से बढ़ाया या घटाया जा सके।

बशर्ते कि केंद्र सरकार ऐसा नहीं करेगी-

(क) किसी भी खनिज के संबंध में रॉयल्टी की दर इस प्रकार निर्धारित करना कि वह खदान के शीर्ष पर खनिज के विक्रय मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक हो, या

(ख) किसी भी खनिज के संबंध में रॉयल्टी की दर को चार वर्षों की अवधि के दौरान एक से अधिक बार बढ़ाना।

यह ध्यान दिया जाएगा कि उपर्युक्त उद्धृत धारा की उपधारा (1) के अनुसार, 1957 अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले प्रदत्त खनन पट्टे के धारक के लिए, उसके पट्टे के विलेख में या 1957 अधिनियम के प्रारंभ होने के समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, 28 दिसंबर, 1957 के बाद पट्टे वाले क्षेत्र से उसके द्वारा निकाले गए किसी भी खनिज के संबंध में, 1957 अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर रॉयल्टी का भुगतान करना अनिवार्य था, जो कोयले के लिए एफ.ओ.आर. मूल्य का 5% निर्धारित किया गया था, न्यूनतम पचास एन.पी. प्रति टन के अधीन।

1957 अधिनियम की धारा 16 में यह प्रावधान किया गया था कि 25 अक्टूबर, 1949 से पहले दिए गए खनन पट्टे, 1957 अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद यथाशीघ्र, 1957 अधिनियम के प्रावधानों और उसकी धारा 13 और 18 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप लाए जाएंगे।

1957 अधिनियम की धारा 29 में 1948 अधिनियम के तहत बनाए गए या बनाए जाने का दावा किए गए नियमों को प्रभावी रूप से जारी रखने का प्रावधान किया गया था, जहाँ तक वे पूर्ववर्ती अधिनियम में दिए गए मामलों से संबंधित थे और उसके साथ असंगत नहीं थे।

मध्य प्रदेश राज्य एवं एक अन्य बनाम दादाभोय की न्यू चिरीमिरी पोनरी हिल कोलियरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड [1]के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए मत के अनुसार, 1957 अधिनियम की धारा 9 का प्रभाव यह था कि उन पट्टेदारों के मामले में रॉयल्टी की दर बढ़ा दी गई थी, जो अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले प्राप्त पट्टों के तहत 5% से कम दर पर रॉयल्टी का भुगतान कर रहे थे, जबकि समान स्थिति वाले पट्टेदारों द्वारा उच्च दर पर रॉयल्टी का भुगतान करने पर देय रॉयल्टी कम कर दी गई थी। चूंकि 1957 अधिनियम की धारा 9 द्वारा परिकल्पित वृद्धि से कोयले के उत्पादन की लागत में वृद्धि होने की आशंका थी, जो औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है और देश की अर्थव्यवस्था में एक मूलभूत स्थान रखता है, इसलिए रॉयल्टी कम करने के लिए भारत सरकार को कई अभ्यावेदन दिए गए थे। इन अभ्यावेदनों से प्रेरित होकर, केंद्र सरकार ने मार्च 1958 में विधेयक सं. 33/1958 पेश किया और खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) संशोधन अधिनियम, 1958 के माध्यम से 1957 के अधिनियम में धारा 30ए को इस प्रकार जोड़ा:

> " 30ए. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 16 की उपधारा (1) के प्रावधान 25 अक्टूबर, 1949 से पहले कोयले के संबंध में दिए गए खनन पट्टों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन केंद्र सरकार, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करना उचित है, तो आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उक्त सभी या कोई भी प्रावधान (धारा 13 और 18 के तहत बनाए गए किसी भी नियम सहित) ऐसे पट्टों पर लागू होंगे, ऐसे अपवादों और संशोधनों के

1 [972] 2 एस,सी,आर, 609.

अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि उस अधिसूचना या किसी बाद की अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।"

यह खंड, जैसा कि देखा जा सकता है, दो भागों में विभाजित था। पहले भाग के अंतर्गत, धारा 9(1) और 16(1) के प्रावधान स्पष्ट रूप से 25 अक्टूबर, 1949 से पूर्व के कोयला खनन पट्टों पर लागू नहीं किए गए थे। दूसरे भाग में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसा करना उचित है, तो वह अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उन सभी या उनमें से कोई भी प्रावधान (धारा 13 और 18 के अंतर्गत बनाए गए नियमों सहित) ऐसे पट्टों पर लागू होंगे, बशर्ते कि उनमें कुछ अपवाद और संशोधन हों, यदि कोई हों, जो उस या किसी बाद की अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकने वाले "अपवाद और संशोधन" स्पष्ट रूप से धारा 9(1) और 16(1) तथा संबंधित नियमों के लागू होने से संबंधित थे, जब ऐसे आवेदन पर निर्णय लिया गया था।

उपर्युक्त धारा 30-ए को संशोधन अधिनियम 15, 1958 की धारा 2 के माध्यम से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था।

अधिसूचना सं. जीएसआर-432 दिनांक 29 मई, 1958 के अनुसार, 1957 का अधिनियम 1 जून, 1958 से प्रभावी हुआ।

दिनांक 29 दिसंबर, 1961 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 3094 द्वारा, केंद्र सरकार ने 1957 अधिनियम की धारा 30ए के द्वितीय भाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 9 की उपधारा (1) के प्रावधानों को 25 अक्टूबर, 1949 से पहले दिए गए कोयले से संबंधित खनन पट्टों पर तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया, इस संशोधन के साथ कि पट्टेदारों को अपने और पट्टेदाता के बीच हुए समझौतों में निर्दिष्ट दरों पर या कोयले के एफ.ओ.आर. मूल्य पर 2.5% की दर से, द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत कोयले के संबंध में निर्दिष्ट रॉयल्टी की दर के स्थान पर जो भी अधिक हो, रॉयल्टी का भुगतान करना होगा, ।

अधिसूचना के बाद, राज्य सरकार ने 2.5 % की दर से रॉयल्टी की मांग शुरू कर दी और 29.12.1961 और 31.12.1965 के बीच की अवधि के लिए 2.5% की दर से रॉयल्टी वसूलने के लिए लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की।

26 अक्टूबर, 1964 को बिहार भूमि सुधार अधिनियम में धारा 10-ए को जोड़कर संशोधन किया गया। यह संशोधन मूल रूप से बिहार संशोधन अध्यादेश सं. 3, 1964 द्वारा किया गया था, जिसे बाद में बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1954 (बिहार अधिनियम 4, 1965) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस नई जोड़ी गई धारा के तहत, खानों और खनिजों में पट्टेदारों का हित, जो उप-पट्टों के अधीन थे, बिहार राज्य में निहित हो गया। इस प्रकार राज्य को उप-पट्टा देने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। 27 अक्टूबर, 1964 को चक्रबोर्ती और अधिकारियों का हित, जिनसे वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ में उप-पट्टे लिए गए प्रतीत होते हैं, बिहार राज्य में निहित हो गया।

1 जनवरी, 1966 को, केंद्रीय सरकार द्वारा 1957 अधिनियम की धारा 30ए के तहत अधिसूचना सं. एस.ओ. 81/1966 जारी की गई थी। इस अधिसूचना ने 29 दिसंबर, 1961 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3094 को निरस्त कर दिया और उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले दिए गए पट्टों पर 1957 अधिनियम की धारा 9(1) के प्रावधान लागू किए।

3 अक्टूबर, 1966 को, इस न्यायालय ने *बिहार खान लिमिटेड बनाम भारत संघ* (उपरोक्त) मामले में फैसला सुनाया, जिसमें यह माना गया कि खानों और खनिजों के किसी भी पट्टे में शामिल संपत्ति या पट्टे का पूरा या वह हिस्सा, निहित होने की तारीख से, राज्य सरकार द्वारा मौजूदा पट्टे के धारक (अर्थात प्रथम पट्टेदार) को पट्टे की शेष अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया माना जाएगा और बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10 के तहत राज्य सरकार से मुख्य पट्टेदार द्वारा धारित वैधानिक पट्टा, 25 अक्टूबर, 1949 के बाद दिया गया एक नया पट्टा होगा, और उप-पट्टे भी नए पट्टेदार द्वारा राज्य सरकार से दिए गए नए पट्टे माने जाएंगे, क्योंकि मूल पट्टे के तहत मूल पट्टेदार के अधिकार संपत्ति

के निहित होने पर समाप्त हो गए थे, और उसे राज्य से एक नया पट्टा प्राप्त हुआ माना जाएगा।

22 दिसंबर, 1967 को पटना उच्च न्यायालय ने *नरेंद्र नाथ मंडल बनाम बिहार राज्य और अन्य*[1] मामले में फैसला सुनाया कि कोयला खदान का पट्टेदार बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत किसी संपत्ति के निहित होने की तिथि से 31 मई, 1958 तक की अवधि के लिए एफ.ओ.आर. के 5% की दर से रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। अधिनियम 1957 की धारा 29 के अनुसार, खनिज रियायत नियम, 1949 के नियम 41 और अनुसूची 1 के तहत, कोयले की कीमत कम से कम आठ पैसे प्रति टन के अधीन होगी, और उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार, द्वितीय अनुसूची के साथ पढ़े जाने पर, 1957 अधिनियम के लागू होने की तिथि से उसी दर पर लागू होगी, क्योंकि बिहार राज्य में संपत्ति निहित होने और अधिनियम की धारा 10 के बल पर एक नए पट्टे के अस्तित्व में आने के कारण, न तो धारा 30ए और न ही उसके तहत जारी अधिसूचना उक्त पट्टे पर लागू थी, जिसे 25 अक्टूबर, 1949 से पहले दिया गया पट्टा नहीं कहा जा सकता था, जो कि 1957 अधिनियम की धारा 30ए का विषय था।

जून 1968 में, जिला खनन अधिकारी, अपीलकर्ता सं. 2 द्वारा, खनिज रियायत नियम, 1949 में निर्दिष्ट दर पर रॉयल्टी के भुगतान की मांग की गई थी, जो 3 नवंबर, 1951 से शुरू होने वाली अवधि के लिए थी - बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत मुख्य पट्टेदारों की संपत्तियों के निहित होने की तिथि - 31 मई, 1958 तक और 1 जून, 1958 से शुरू होने वाली अवधि के लिए - 1957 अधिनियम के लागू होने की तिथि - 12 दिसंबर, 1965 तक, 1957 अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर, *नरेंद्र नाथ मंडल* के मामले (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय के मद्देनजर, पहले से प्राप्त 2.5% की कटौती के बाद। इन मांगों से व्यथित होकर उत्तरदाताओं ने पटना उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर मांग नोटिसों को

---

1 सी.जे.सी. 653 ऑफ 1965 (पटना एच.सी.)

रद्द करने और राज्य को ऊपर बताए अनुसार रॉयल्टी की मांग करने से रोकने के लिए *उत्प्रेषण-लेख* और *परमादेश* रिट जारी करने की मांग की।

रिट याचिकाओं में उत्तरदाताओं द्वारा स्थापित मामला यह था कि खनिज रियायत नियम, 1949 का नियम 41, जिसमें नियमों की अनुसूची । में निर्दिष्ट दर पर रॉयल्टी का भुगतान करना अनिवार्य था, केवल 1948 अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद उक्त नियमों के तहत दिए गए पट्टे पर लागू होता था और उत्तरदाताओं के पट्टों और उपपट्टों पर लागू नहीं होता था, इसलिए बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत निहित होने की तिथि और 31 मई, 1958 (1957 अधिनियम के लागू होने की तिथि से ठीक पहले की तिथि) के बीच की अवधि के लिए कोयले के एफ.ओ.आर. मूल्य के 5% के आधार पर रॉयल्टी का दावा नहीं किया जा सकता था कि 1 जून, 1958 और 28 दिसंबर, 1961 के बीच की अवधि के संबंध में, संविदात्मक दरों पर ही रॉयल्टी देय थी क्योंकि 1957 अधिनियम की धारा 9 (1) के प्रावधान बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत अस्तित्व में आए वैधानिक पट्टों पर लागू नहीं होते थे और वैकल्पिक रूप से क्योंकि 1957 अधिनियम की धारा 30ए के प्रावधानों के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 9 (1) के प्रावधान 25 अक्टूबर, 1949 से पहले दिए गए कोयले से संबंधित खनन पट्टों पर लागू नहीं होते थे, जब तक कि केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्णय लिया गया; कि 29 दिसंबर, 1961 से 31 दिसंबर, 1965 की अवधि के संबंध में दावे के अनुसार, उत्तरदाताओं द्वारा कोयले के एफ.ओ.आर. मूल्य के 2.5% की दर से रॉयल्टी का भुगतान पहले ही किया जा चुका था, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा 1957 अधिनियम की धारा 30ए के तहत जारी अधिसूचना में बताया गया था, और स्वयं आमंत्रित करने के बाद और उक्त अवधि के लिए देय रॉयल्टी के लिए उत्तरदाताओं के दायित्व के पूर्ण निर्वहन में इस भुगतान को स्वीकार करने के बाद, राज्य को उपरोक्त निर्वहन या संतुष्टि को एकतरफा रद्द करने और पहले से भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त कोयले के एफ.ओ.आर. मूल्य के 2.5% की दर से अतिरिक्त रॉयल्टी का

दावा करने का अधिकार नहीं था।

इसके जवाब में अपीलकर्ताओं ने *अन्य बातों के साथ* यह प्रस्तुत किया कि मांगें वैध थीं, कि 1957 के अधिनियम की धारा 9 और 29, साथ ही उसकी दूसरी अनुसूची और खनिज रियायत नियम, 1949 का संयुक्त प्रभाव यह था कि उत्तरदाता, जो पट्टेदार या उप-पट्टेदार थे, संबंधित मालिकों की संपत्तियों के निहित होने की तिथि से कोयले के एफ.ओ.आर. मूल्य के 5% की दर से रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, जिन्होंने बिहार राज्य में प्रश्नगत संपूर्ण अवधि के लिए मुख्य पट्टे दिए थे; कि 1957 अधिनियम की धारा 9 (1) बहुत व्यापक थी और उन सभी पट्टों पर लागू होती थी, चाहे वे संविदात्मक हों या वैधानिक, जो 1957 अधिनियम के लागू होने से पहले अस्तित्व में आए थे; कि 1957 अधिनियम की धारा 30ए केवल कोयले से संबंधित उन पट्टों पर लागू होती है जो 25 अक्टूबर, 1949 से पहले दिए गए थे, न कि उत्तरदाताओं के नए वैधानिक खनन पट्टों पर, जिन्हें बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के तहत 1957 अधिनियम के लागू होने से पहले राज्य सरकार द्वारा दिया गया माना जाता है; और यह कि 1957 अधिनियम की धारा 9 (1) के प्रावधानों को अधिनियम की धारा 30ए द्वारा प्रश्नगत पट्टों के संबंध में निलंबित नहीं माना जा सकता है।

सभी रिट याचिकाओं की सुनवाई उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ द्वारा की गई। उक्त पीठ ने 3 सितंबर, 1970 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा उत्तरदाताओं द्वारा दायर सभी रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और विवादित नोटिसों को यह मानते हुए अभिखंडित कर दिया कि *नरेंद्र नाथ मंडल* का मामला (उपरोक्त) गलत तरीके से तय किया गया था; कि 1948 अधिनियम की धारा 5 के तहत बनाए गए खनिज रियायत नियम, 1949 का नियम 41, जिसे अपीलकर्ताओं ने 1957 अधिनियम की धारा 29 के आधार पर लागू रखने और 1 जून, 1958 से पहले की अवधि के लिए रॉयल्टी की मांग को उचित ठहराने का दावा किया था, केवल उक्त नियमों द्वारा परिकल्पित संविदात्मक अनुदानों

पर लागू होता था और बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10 के तहत उत्पन्न वैधानिक पट्टों पर लागू नहीं हो सकता था। कि 1957 अधिनियम की धारा 29 के आधार पर धारा 9 को उस तिथि से पहले की किसी भी तिथि पर लागू करने का कोई औचित्य नहीं था जिस तिथि से उक्त अधिनियम लागू हुआ था; कि 1957 अधिनियम की धारा 30ए की सही व्याख्या के अनुसार,धारा 9 (1) के प्रावधानों के संचालन पर अस्थायी रोक न केवल 25 अक्टूबर, 1949 से पहले कोयले के संबंध में दी गई खनन लीज के संबंध में बल्कि उन लीज के संबंध में भी लगाई गई थी, जिसमें उत्तरदाताओं की वैधानिक लीज शामिल थी, जिसे बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत निहित होने की तारीख से अस्तित्व में माना जाना चाहिए, 1 जून, 1958 से 31 दिसंबर, 1965 तक की अवधि के लिए रॉयल्टी की मांग भी अनुचित और अवैध थी।

उच्च न्यायालय की विशेष पीठ के निर्णय और आदेश से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 132 और 133 (1) (ए) के तहत इस न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने 22 जनवरी, 1971 के अपने आदेश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 133 (1) (ए) के तहत उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रदान किया, जिससे अपीलकर्ताओं को इस न्यायालय में उपरोक्त अपीलें दायर करने की अनुमति मिली।

पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने हमारे समक्ष उन दलीलों को दोहराया है जो उन्होंने अपने मुवक्किलों की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थीं।

इन अपीलों में हमारे द्वारा निर्धारण के लिए दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं: (1) क्या 1 जून, 1958 से पूर्व की अवधि के संबंध में रॉयल्टी का दावा कायम रखा जा सकता है; (2) क्या 1 जून, 1958 से 31 दिसंबर, 1965 तक की अवधि के संबंध में रॉयल्टी का दावा उचित है।

जहां तक 1 जून, 1958 से पूर्व की अवधि के लिए कोयले के एफ.ओ.आर. मूल्य के

5% की रॉयल्टी की मांग का संबंध है - जिस तिथि से 1957 का अधिनियम लागू हुआ था - हमारा मत है कि यह उचित नहीं है, क्योंकि खनिज रियायत नियम, 1949 का नियम 41 केवल उक्त नियमों के अध्याय IV में परिकल्पित संविदात्मक पट्टों पर लागू होता था (जो *अन्य बातों के अलावा* किसी भी खनिज के संबंध में खनन पट्टों के अनुदान को विनियमित करने के लिए बनाए गए थे) और उन वैधानिक पट्टों पर नहीं जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10 में निहित अनुमानित प्रावधान के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए थे। यह दृष्टिकोण *छत्तू राम* के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है, जहाँ खनिज रियायत नियम 1949 के नियम 40 (पट्टे की अवधि से संबंधित) पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति शाह ने न्यायालय का निर्णय देते हुए कहा कि यह नियम स्पष्ट रूप से सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों पर लागू होता है और बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10 के कारण उत्पन्न वैधानिक पट्टों पर लागू नहीं होता है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय से पूर्णतः सहमत हैं कि 1 जून, 1958 से पूर्व की अवधि के लिए रॉयल्टी का दावा पूरी तरह निराधार है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

जहां तक 1 जून, 1958 से शुरू होकर 31 दिसंबर, 1965 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए रॉयल्टी की मांग का संबंध है, हमारा मत है कि इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा अपने अपीलीय निर्णय में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है। यह बात 1957 अधिनियम की धारा 30ए (उपरोक्त) के गहन अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है, जिसके प्रावधानों को इस स्तर पर याद करना उपयोगी होगा। हालांकि, धारा 30ए की जांच करने से पहले, अधिनियम की धारा 9 (उपरोक्त) पर ध्यान देना लाभप्रद होगा। यह धारा, जैसा कि देखा जा सकता है, तीन भागों से मिलकर बनी है। उपधारा (1) के अनुसार, 1 जून, 1958 (अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि) से पहले प्रदत्त खनन पट्टे के धारक पर यह दायित्व है कि वह पट्टे के क्षेत्र से उसके द्वारा उस तिथि के बाद निकाले गए किसी भी खनिज पर द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट दर से रॉयल्टी का भुगतान करे, पट्टे के विलेख में या

अधिनियम के प्रारंभ होने की पूर्वोक्त तिथि को लागू किसी भी कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, उपधारा (2) के अनुसार, 1 जून, 1958 को या उसके बाद दिए गए खनन पट्टे के धारक को पट्टे वाले क्षेत्र से उसके द्वारा निकाले गए किसी भी खनिज के संबंध में द्वितीय अनुसूची में समय-समय पर निर्दिष्ट दर पर रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। उपधारा (3) केंद्र सरकार को द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने और इस उपधारा के परन्तुक में निहित प्रतिबंध के अधीन अधिसूचना जारी करके किसी भी खनिज के संबंध में रॉयल्टी की दर को बढ़ाने या घटाने का अधिकार देती है। धारा 30ए, जैसा कि इसके आरंभिक शब्दों से स्पष्ट है, अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव रखती है। यह धारा 9 (1) और धारा 16 (1) की प्रयोज्यता से न केवल 25 अक्टूबर, 1949 से पहले दिए गए पट्टों को, बल्कि उन वैधानिक पट्टों को भी अस्थायी संरक्षण प्रदान करती है जो धारा के संचालन के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए। बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत, राज्य में संपदाओं या कार्यकालों के निहित होने की तिथि से ठीक पहले विद्यमान पूर्व श्रेणी के पट्टों को प्रतिस्थापित किया गया है, जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 और 3ए के तहत अधिसूचनाओं के प्रकाशन के बाद लागू होंगे। यह निष्कर्ष 1957 अधिनियम की धारा 30ए में "पर लागू नहीं होगा" के बाद और "25 अक्टूबर, 1949 से पहले दिए गए खनन पट्टे" से पहले आने वाले "या के संबंध में" शब्दों से स्पष्ट होता है। उपरोक्त शब्द, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, धारा 30ए के दायरे को बढ़ाते हैं और 25 अक्टूबर, 1949 से पहले दिए गए खनन पट्टों के साथ-साथ उन वैधानिक पट्टों को भी इसके संरक्षण के दायरे में लाते हैं जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10 (1) में निहित विधिक प्रावधान के तहत राज्य में संपदाओं या पट्टे के निहित होने के कारण अस्तित्व में आए। बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) और (2) में स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रावधान के अनुसार, न केवल वैधानिक पट्टे का धारक शेष अवधि के लिए मौजूदा पट्टे के धारक के समान होना चाहिए, बल्कि वैधानिक पट्टे की शर्तें भी यथावश्यक रूप से मौजूदा पट्टे,

अर्थात् मूल पट्टे की शर्तों के समान होनी चाहिए, सिवाय उपधारा (2) में उल्लिखित सीमा तक।इस प्रकार, वैधानिक पट्टा उपरोक्त मौजूदा पट्टे से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है, जिसे इसने अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के परिणामस्वरूप प्रतिस्थापित किया था, इसलिए यह 1957 अधिनियम की धारा 30ए के दायरे में आता है। अपीलकर्ताओं द्वारा 1957 अधिनियम की धारा 30ए की शब्दावली पर की गई व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह उस धारा के दायरे को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित और सीमित कर देगा और उस उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए इसे बनाया गया था, अर्थात् अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद पट्टे वाले क्षेत्र से निकाले गए कोयले के संबंध में दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर 1957 अधिनियम की धारा 9 के तहत रॉयल्टी के भुगतान की कठोरता को कम करना। यदि अपीलकर्ताओं द्वारा तर्क दिए गए अनुसार, धारा 30ए द्वारा परिकल्पित संरक्षण 25 अक्टूबर, 1949 से पहले दिए गए पट्टों तक ही सीमित है, तो धारा 30ए निरर्थक हो जाएगी क्योंकि बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10 (1) के परिणामस्वरूप वैधानिक पट्टों के अस्तित्व में आने के बाद, शायद ही कोई खनन पट्टा बचेगा जिस पर 1957 अधिनियम की धारा 30ए लागू होगी। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधानमंडल का इरादा था कि 1957 अधिनियम की धारा 30ए में उपर्युक्त वैधानिक पट्टे भी शामिल हों। इस संदर्भ में, 1957 अधिनियम में धारा 30ए को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने वाले विधेयक में दिए गए उद्देश्यों और कारणों के निम्नलिखित विवरण का उल्लेख करना उचित होगा, जिसका उपयोग धारा 30ए के वास्तविक दायरे और इसके द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा की सीमा का पता लगाने के लिए किया जा सकता है:

> "...ऐसा माना जा रहा है कि इन परिवर्तनों के अनेक अवांछनीय परिणाम होंगे। इन खनन पट्टों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र मुख्यतः पश्चिम बंगाल और बिहार में हैं और ये देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा हैं। इस कोयले पर दी जाने वाली रॉयल्टी में काफी

भिन्नता है, लेकिन आमतौर पर यह द्वितीय अनुसूची में निर्धारित प्रति टन दर से काफी कम है। इन रॉयल्टी में अचानक और एकसमान वृद्धि से उद्योग में अस्थिरता उत्पन्न होने की संभावना है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कोयला उत्पादन कार्यक्रम में बाधा आ सकती है..."

अतः उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 10 (1) के अंतर्गत उत्पन्न कोयले से संबंधित वैधानिक खनन पट्टों को भी अधिनियम की धारा 9 (1) और 16 (1) की प्रयोज्यता से अस्थायी छूट प्राप्त थी, जब तक कि केंद्र सरकार ने उक्त प्रावधानों को संशोधन सहित या बिना संशोधन के इन पट्टों पर लागू करने वाली अधिसूचना जारी नहीं कर दी। तदनुसार, हम उच्च न्यायालय से सहमत होते हुए यह मानने में संकोच नहीं करते कि ऊपर उल्लिखित दूसरी अवधि के लिए रॉयल्टी की अतिरिक्त मांग भी मान्य नहीं है।

उपरोक्त कारणों से, हमें इन अपीलों में कोई दम नहीं लगता, इसलिए इन्हें खारिज किया जाता है। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, पक्षों को इन अपीलों का खर्च स्वयं वहन करना होगा।

याचिकाएं खारिज की जाती है ।

पीबीआर.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक,

कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।